न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

49

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1781-दो/2007 निगरानी - विरूद्व आदेश दिनांक 01-09-2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 703/2006-07 अपील

रामस्वरूप गुप्ता पुत्र स्व. रामभरोसे
ग्राम करोदिया दक्षिण टोला
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्व

1- प्रेमलाल पुत्र रामपति बानी
2- जमुना प्रसाद पुत्र छद्दारी बानी
निवासी दोनों ग्राम करोदिया दक्षिण टोला
तहसील गोपदबनास जिला सीधी म0प्र0
3- ज्ञानचंद केसरी पुत्र सुदामाप्रसाद
ग्राम करोदिया तहसील गोपद बनास जिला सीधी --अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 06 -4 -2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 703/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 01-09-2007 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार गोपदबनास के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम करोदिया दक्षिण टोला की भूमि सर्वे कमांक 552 रकबा 2.00 एकड़ (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) उसके स्वामित्व की है किन्तु इस भूमि के प्लाट का नक्शे में तरमीम नहीं है, इसलिये नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 1 अ-5/05-06 पंजीबद्ध किया तथा पटवारी से बटांकन प्रस्ताव लेकर आदेश दिनांक 6-10-2005 पारित किया एंव नक्शा तरमीम करना स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 एंव 2 ने अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 8/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनॉक 15-1-2007 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 6-10-2005 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 703/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 01-09-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वादग्रस्त भूमि वर्ष 1965 में कय की गई भूमि है जो आवेदक के नाम पर वॅशानुगत नामान्त्रण से आई है। वर्ष 1965 में कय की गई भूमि पर पूर्व में आवेदक के पूर्वज एंव वर्तमान में आवेदक काविज होकर स्वत्वाधिकारी है एंव मौके की स्थिति के मान से भूमि चिन्हित की गई है तथा पंचनामा बनाया गया है सभी ग्रामीणों को विधिवत् सूचना है। समय रहते किसी ग्रामीण ने कोई आपत्ति नहीं की, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने बेरूम्याद अपील में न्याय न करते हुये आदेश दिनॉक 15-1-2007 से अपील स्वीकार करके तहसीलदार के विधिवत आदेश दिनांक 6-10-2005 को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जॉय। उन्होंने तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखे जाने की प्रार्थना की।

अनावेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि नगरीय क्षेत्र में है और नगरीय क्षेत्र के भूमि को बटांकित करने एंव नक्शे में सीमाचिन्ह निर्धारित करने की शक्तियॉ तहसीलदार को नहीं है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने आदेश दिनॉक 15-1-2007 में विवेचना करते हुये विधिवत् आदेश पारित

किया है जिसके कारण अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना हैं उन्होंने निगरानी निरस्त करने की मांग रखी।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि पटवारी के प्रतिवेदन को आधार मानकर तहसीलदार गोपद बनास ने आदेश दिनांक 6-10-05 से वादग्रस्त भूमि के नक्शे में सीमा-चिन्ह अंकित करने के आदेश दिये है अर्थात पेन्सिल या लालस्याही से नक्शे में भूमि चिन्हित होने से भी आवेदक की समस्या का समाधान तब तक नहीं होता है जबकि नक्शे में स्थाई सीमा-चिन्ह निर्धारित नहीं कर दिया जाता । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 107 में तदाशय की शक्तियॉ कलेक्टर में वेष्ठित है जिसके कारण तहसीलदार नक्शे के सीमा-चिन्हों में स्थाई बदलाव करने हेतु सक्षम नहीं है । अनावेदकगण के अभिभाषक के अनुसार वादग्रस्त भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है यदि भूमि नगरीय क्षेत्र में स्थित है तब नगरीय क्षेत्र की भूमि के नक्शे में सुधार हेतु अथवा भूखंड सॅख्याॅकों के पुर्नक्रमांकन हेतु संहिता की धारा 94 के अंतर्गत विचार किया जा सकता है इस धारा में दी गई व्यवस्था इस प्रकार है :-

1- कलेक्टर की शक्तियॉ - जिलाधीश द्वारा भूखंड सॅख्याकों को पुर्नक्रमांकित किया जा सकेगा या इतने उपखण्डों में विभाजित किया जायेगा, जितने कि भूमि में अधिकारों के अर्जन की दृष्टि से अपेक्षित हो जाये। यह किसी अन्य कारण से अपेक्षित होने पर उपखं डमें विभाजित किया जा सकेगा। जिलाधीश द्वारा शक्तियॉ प्रयुक्त की जायेगी।

2- शक्तियों का प्रत्यायोजन - इस धारा के अधीन जिलाधीश की शक्तियॉ राज्य में नजूल अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले समस्त डिप्टी कलेक्टों को प्रदान की गई हैं।

उपरोक्त कारणों से तहसीलदार सीमा चिन्ह निर्धारित करने एंव नक्शा में अंकित सीमा रेखाओं को बदलने/सॅशोधित करने हेतु सक्षम होना परिलक्षित है । अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने प्रकरण क्रमांक 8/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनॉक 15-1-2007 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 6-10-2005 निरस्त कर दिया है तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 703/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 01-09-2007 से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया है किन्तु वादग्रस्त भूमि

के नक्शा तरमीम की स्थिति यथावत् रहने के कारण आवेदक की समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा, जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दोषपूर्ण परिलक्षित होते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 703/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 01-09-2007, अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 8/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनॉक 15-1-2007 एंव तहसीलदार गोपद बनास द्वारा प्रकरण क्रमांक 1 अ-5/05-06 में पारित आदेश दिनांक 6-10-2005 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण कलेक्टर सीधी की ओर से इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अधीक्षक भू अभिलेख को मौके पर भेजें तथा वादग्रस्त भूमि के स्थल की परिमाप मशीन द्वारा कराकर समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुये संहिता में दी गई व्यवस्था के अनुरूप नक्शे में स्थाई सीमा चिन्ह अंकित करावें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर